झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–163 वर्ष 2017

पी0 विनय कुमार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. भारत संघ, महाप्रबंधक, पूर्वी रेलवे, कलकत्ता के माध्यम से

2. मंडल रेल प्रबंधक, एस0ई0आर0, रांची डिवीजन, झारखंड

3. मंडल कार्मिक अधिकारी, एस0ई0आर0, रांची डिवीजन, झारखंड

4. सहायक परिचालन, प्रबंधक (सी0)–सह–नियुक्ति प्राधिकरण, एस0ई0आर0, रांची डिवीजन, झारखंड

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

माननीय न्यायमूर्ति श्री कैलाश प्रसाद देव

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री विशाल कुमार तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री योगेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता

05 / 24.02.2020 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. आवेदक / याचिकाकर्त्ता, विद्वान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण, सर्किट बेंच, रांची द्वारा दिनांक 05.08.2016 के आदेश से मूल आवेदन संख्या 051 / 00103 / 2014 क खारिज होने से व्यथित होकर इस रिट याचिका को दायर की है।

3. तथ्य संकीर्ण कम्पास में है और संक्षेप में यहाँ दिया गया है कि आवेदक को सुरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत रोजगार (लार्सगेस) योजना के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृति के तहत नियुक्ति मिली जब श्री एम0 वेंकट राव नाम के कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृति का विकल्प चुना और आवेदक के नाम को अपने बेटे के रूप में प्रस्तुत किया। नियुक्ति के बाद आवेदक ने घोषणा की कि श्री एम0वी0 राव उनके पिता थे, लेकिन सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में उनके पिता का नाम पी0 लक्ष्मण राव के रूप में उल्लेख किया गया था। कर्मचारी श्री एम0वी0 राव द्वारा उनके प्राकृतिक पिता पी0 लक्ष्मण राव से गोद लिए जाने की पुष्टि करने के लिए, आवेदक ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में 30.12.2010 को निष्पादित पंजीकृत दत्तक विलेख का उत्पादन किया। जब विलेख निष्पादित किया गया था, तब तक आवेदक अपनी जन्म तिथि 30.10.1988 के अनुसार 22 वर्ष का हो गया था। नियोक्ता ने हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 (iv) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए दत्तक विलेख को उन परिस्थितियों में विश्वास नहीं किया जो 15 वर्ष की आयु से परे किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं प्रदान करता है जब तक कि कोई रिवाज या उपयोग पार्टियों पर लागू न हो जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देती है। विद्वान ट्रिब्यूनल ने पाया कि यह सुझाव देने के लिए कोई समकालीन विलेख या दस्तावेज नहीं था कि दत्तक ग्रहण 15 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हुआ है। इस तरह का दृष्टिकोण मामले में रखते हुए, राहत देने से इंकार कर दिया गया था और उनकी सेवा समाप्ति को बरकरार रखा गया था।

4. हमने ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक कम्पास में उनकी नियुक्ति की वैधता के बारे में इस सीमित मुद्दे पर पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है। याचिकाकर्त्ता ने यह दलील या साबित नहीं किया है कि उसके परिवार में कोई वैध रिवाज या प्रथा था, जो पार्टियों पर लागू होता है और 15 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी गोद लेने की अनुमति देता है। दिनांक 30.12.2010 के दत्तक विलेख को तब निष्पादित किया गया था जब याचिकाकर्त्ता 22 वर्ष का था। गोद लेने की आयु तक यानी 15 वर्ष तक गोद लेने की पुष्टि करने के लिए किसी भी अन्य सबूत या समकालीन दस्तावेज के अभाव में, विद्वान ट्रिब्यूनल के पास आवेदक के पक्ष में आदेश देने और समाप्ति के आदेश को अपास्त करने का कोई कारण नहीं था। आवेदक इस स्तर पर अपने मामले में और सुधार नहीं कर पाया है।

5. इस प्रकार, हमें विद्वान कैट, सर्किट बेंच, रांची द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

(कैलाश प्रसाद देव, न्याया0)